

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2382 / 2023


दिनांक : 19.08.2023

**श्रीमती शुभ्रा शर्मा** (RJ01069), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांगोद (कोटा) को दिनांक 21.08.2023 से 16.02.2024 तक 180 दिवस का **मातृत्व अवकाश (द्वितीय संतान)** दिनांक 20.08.2023 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

**सुश्री पूजा मीना-II** (RJ1429), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास (कोटा) को श्रीमती शुभ्रा शर्मा के उक्त **मातृत्व अवकाश** की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांगोद (कोटा) के पद का **अतिरिक्त कार्यभार** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा **पदस्थापित/नियुक्त** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. **सुश्री पूजा मीना-II** (RJ1429), अति. कार्यभार वाले न्यायालय में आनुकल्पिक सप्ताह (Alternate Week) कम से कम तीन दिन (At least for three days in alternate week) कैम्प कोर्ट करेंगे।

आज्ञा से,


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 18.08.2023

कमांक:-स्था.बी.2 (4)/57/2016/5276

दिनांक. 19.08.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 6345 दिनांक 20.07.2023 के सन्दर्भ में।
3. **श्रीमती शुभ्रा शर्मा** (RJ01069), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांगोद (कोटा)।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांगोद (कोटा)।
5. **सुश्री पूजा मीना-II** (RJ1429), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास (कोटा)।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास (कोटा)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ. न्या., जोधपुर।

  
सहायक रजिस्ट्रार 19.8.2023